रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2017, शनिवार/चैत्र 19—चैत्र 25, 1939
No. 14] NEW DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2017, SATURDAY/CHAITRA 19—CHAITRA 25, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2007 को जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार चालक श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (समूह 'ग') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक श्रेणी-I, श्रेणी-II और सामान्य श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार चालक श्रेणी- I	06* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय — सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी-II	06* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100/-रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	11
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(12)	(13)
प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय — सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	7* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। यदि 'सीधी भर्ती' सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा (यदि इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाए) द्वारा की जाती है तो

					आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति (ख) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में छोटी-मोटी कमियों का ठीक करने के योग्य हो) (ग) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (घ) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** होम गार्ड या नागरिक स्वंयसेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** गृह मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- I में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास चालन परीक्षण से क्षमता निर्धारण करने से मोटर कार चलाने के आधार पर मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जो सवार हरकारा के पद पर नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए पदधारियों में से जो स्तम्भ-7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। **"भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्त या पुनर्नियोजन"** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, पर विचार किया जाएगा। यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निमुक्त किया जाना है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय — सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-42012/38/2015-प्रशा-II]

अमरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th April, 2017

G.S.R. 115.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2007, in so far as it relates to the post of Staff Car Drivers, Grade I, Grade II and Ordinary Grade, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver category of (Group 'C' posts) in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Grade I, Grade II and Ordinary Grade), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.- The number of said posts, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualifications.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver Grade I	6* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	LEVEL-5 (Rs. 29200-92300)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver Grade - II in Level 4 in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman 2.Under Secretary (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs – Member 3.Under Secretary, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Staff Car Driver Grade II	6* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	LEVEL-4 (Rs.25500-81100)	Non- Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman 2. Under Secretary (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs – Member 3. Under Secretary, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	7* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammy and Kashmir State, Lahaul and Spiti

					District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andman and Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination (if so decided by the Competent Authority), the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)
Essential (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard from a recognised Board, **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for direct recruits or re-employed

(10)	(11)
Deputation or Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	**Deputation or Absorption:-** From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group C employees in level 1 in the pay matrix in the Ministry of Home Affairs who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 7. **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation: 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs - Chairman 2. Under Secretary (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs - Member 3. Under Secretary, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi - Member	Not applicable.

[F.No. A-42012/38/2015-Ad.II]

AMARENDRA SINGH, Under Secy.